तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सोहनराम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बाप)** सू.अ.अ. अपील संख्या 321/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-11-2022	अपीलार्थी सोहनराम पुत्र गणपतराम पता जमेश्वर नगर द्वितीय (बड़ी सिड्ड) जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.08.2022 में (1) ग्राम जम्भेश्वर नगर द्वितीय पटवार मण्डल बड़ी सिड्ड क खेत खसरा नं. 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 एवं खते खसरा नं. 21/5, 21/4, 21/2, 21/311, 21/3 तथा ग्राम बडी सिड्ड के खेत खसरा नम्बर 184/1 की तरमीम कब व किस तारीख को एवं किस पटवारी द्वारा की गई। तरमीम करते समय खातेदारान की मौका ए कब्जा अनुसार तरमीम की गई या नहीं तथा खातेदारों से सहमति प्राप्त की गई या नहीं। अगर सहमति प्राप्त की गई हो तो सहमति पत्र की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बाप) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बाप) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बाप) से जरिये पत्रांक 2030 दिनांक 14.10.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना पूर्व में विधिक प्रकिया के तहत प्रेषित नहीं की तथा अपील दायर करने के पश्चात् भी अपीलार्थी को सूचना न देकर इस कार्यालय को प्रेषित कर दी गई जो खेदजनक है। अतः अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बाप) को निर्देशित किया जाता है कि विधिक प्रावधानों के अधीन अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस मं सूचना उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	